

Case name

Election Commission of India v. Subramanian Swamy (2002)

Case

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के चुनाव आयोग को मतदाताओं को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में आवश्यक जानकारी सुरक्षित करने का निर्देश दिया।

Brief Summary

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक मामलों में संलिप्तता के प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है। अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत "बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" की अवधारणा से प्राप्त होता है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव की मांग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता सहित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक हलफनामे पर जानकारी मांगे।

Main Arguments

अदालत द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क थे: (1) उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक मौलिक अधिकार है, (2) भारत के चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक मामलों में संलिप्तता का खुलासा करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है, और (3) सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाले लेनदेन के लिए उम्मीदवारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता से सावधान रहना चाहिए।

Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया, जो भारत के चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए), जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1961 का भी उल्लेख किया।

Quotations from the court

"भारत के चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक मामलों में संलिप्तता के प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत इस तरह के निर्देश जारी करने की शक्ति है। "बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार शामिल है जिसमें राय रखने का अधिकार शामिल है। यह जानने का अधिकार कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से क्या प्राप्त होता है, हालांकि निरपेक्ष नहीं है, एक ऐसा कारक है जो किसी को सावधान कर सकता है जब लेनदेन के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है जिसका किसी भी दर पर सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

Present Court's Verdict

उच्चतम न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि: (1) मतदाताओं को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में आवश्यक जानकारी सुरक्षित करें, (2) संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव की मांग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से एक हलफनामे पर जानकारी प्राप्त करें, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता सहित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान की जाए।

Conclusion

उच्चतम न्यायालय का निर्णय भारत में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय का निर्णय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने के अधिकार को मजबूत करता है, जो मतदाताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। यह निर्णय उम्मीदवारों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की शक्ति को भी रेखांकित करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।